

563
01/11-21

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल (म.प्र.)

—:: ज्ञापन ::—

क्रमांक 7462 सहा.लेखा./2021
प्रति,

भोपाल, दिनांक.....अक्टूबर 2021
01/11/21

अपर संचालक,
विज्ञापन,
जनसम्पर्क कार्यालय,
भोपाल (म.प्र.)

विषय :- नवीन जिला न्यायालय भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल में वाहन स्टैण्ड संचालन हेतु निविदा आमंत्रण विज्ञप्ति स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करने बाबत।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि नवीन जिला न्यायालय भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल में वाहन स्टैण्ड संचालन हेतु निविदा आमंत्रित करने संबंधी विज्ञप्ति इस पत्र के साथ आपकी ओर संलग्न भेजी जा रही है।

अतः उक्त विज्ञप्ति दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, नवभारत, पत्रिका एवं पीपुल्स समाचार पत्रों में शीघ्र प्रकाशित कर (प्रकाशित समाचार पत्र की प्रति) इस कार्यालय में भिजवाने का कष्ट करें।


संलग्न :- विज्ञप्ति

sd/-
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्र. 7463 सहा. लेखा./2021
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक अक्टूबर 2021
01/11/21

- (1) प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुविभाग, जिला न्यायालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति एवं निविदा प्रलेख जिला न्यायालय, भोपाल एवं माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट www.mphc.gov.in पर अपलोड करें, साथ ही विज्ञप्ति के प्रकाशन हेतु तत्काल अपर संचालक, विज्ञापन, जनसम्पर्क कार्यालय भोपाल (म.प्र.) की ओर आई.डी. पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन प्रेषित किये जाने हेतु श्री रूपेश शुक्ला, जूनियर सिस्टम एनॉलिस्ट को निर्देशित करें।
- (2) जिला रजिस्ट्रार, जिला न्यायालय, भोपाल,
- (3) जिला नाजिर, नजारत अनुभाग, भोपाल
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल (म.प्र.)

(dnyu)

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल (म.प्र.)

निविदा आमंत्रण सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल में वाहन स्टैण्ड संचालन हेतु इच्छुक संस्थाओं, व्यक्तियों एवं कंपनियों से निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। निविदा की शर्तों संबंधी निविदा प्रलेख उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट www.mphc.gov.in पर उपलब्ध है। इच्छुक संस्थायें/व्यक्तियों/कंपनियां अपना आवेदन निविदा शर्तों के संबंध में सहमति दर्शाते हुए दिनांक 23-11-2021 को दोपहर 1.00 बजे तक रजिस्ट्रार कार्यालय, जिला न्यायालय, भोपाल में जमा कर सकते हैं। निविदा उक्त दिनांक को सांयकाल 4.00 बजे आवेदक या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी। निविदा प्रलेख/आवेदन राशि रूपये 100/- नगद जमा करने पर नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय, भोपाल से दिनांक 23-11-2021 तक कार्यालयीन समय पर प्राप्त किए जा सकेंगे।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल (म.प्र.)


कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल (म.प्र.)

//निविदा प्रलेख//

नवीन जिला न्यायालय भवन, भोपाल में अनुबंध निष्पादित कराये जाने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए वाहन स्टैंड संचालन हेतु विस्तृत विवरण एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-

- 01- वाहन स्टैंड हेतु निर्धारित राशि रुपए 1,00,000/- (एक लाख रुपये) की एफ. डी. आर प्रधान जिला न्यायाधीश, भोपाल के नाम से एक वर्ष की अवधि के लिए आवंटित होने पर प्रस्तुत करना होगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- 02- वाहन स्टैंड हेतु निर्धारित प्रीमियम राशि (मासिक किराया) की न्यूनतम दर राशि रुपए 25,000/- प्रतिमाह होगी।
- 03- निविदा फार्म के साथ राशि रुपए 25,000/- का बैंक ड्राफ्ट प्रधान जिला न्यायाधीश, भोपाल के नाम से जमा करना होगा, जो कि निविदा स्वीकृत न होने के दशा में वापसी योग्य होगी एवं स्वीकृति की दशा में समायोजन योग्य होगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- 04- निविदा स्वीकृति उपरांत टेण्डर की शर्तों के अनुसार अनुबंध-पत्र (ठेका कार्य) निष्पादित न करने की दशा में सुरक्षानिधि की राशि बिना सूचना के जब्त कर ली जाएगी तथा नए टेण्डर प्रक्रिया का खर्च व क्षति राशि वसूली की जाएगी।
- 05- वाहन स्टैंड संचालन की अनुज्ञा एक वर्ष के लिए दी जाएगी और प्राप्त निविदाओं में से निविदाकर्ता की साख, कार्यानुभव व आचरण पर विचार करते हुए निविदा स्वीकार/अस्वीकार की जाएगी, इस संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा। समिति का निर्णय निविदाकर्ता को सूचित करने की बाध्यता नहीं होगी।
- 06- विकलांग/विधवा/परित्यक्ता/सशस्त्र बल के सेवानिवृत्त सदस्यों तथा अनुभव प्राप्त बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाएगी
- 07- वाहन स्टैंड के संचालन का पंजीयन सक्षम प्राधिकारी के समक्ष नियमानुसार कराना आवश्यक होगा।
- 08- मासिक प्रीमियम राशि लगातार तीन माह तक जमा न किये जाने की दशा में तथा निर्धारित पार्किंग शुल्क से अधिक शुल्क लिए जाने की दशा में अमानत राशि जब्त कर ठेका तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा।
- 09- वाहन स्टैंड संचालन के दौरान ऐसी कोई भी गतिविधि या कार्यवाही नहीं करेंगे, जिससे कि शासकीय सम्पत्ति व न्यायालय की गरिमा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति कारित हो।

- 21— निविदाकर्ता का कार्य संतोषप्रद पाए जाने की दशा में निविदाकर्ता के आवेदन पर समिति द्वारा संविदा की अवधि उसी दर पर या नवीनीकृत बढ़ी हुई दर पर 01 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
- 22— जिस निविदाकर्ता की निविदा स्वीकार की जाएगी उसे 03 दिन के अंदर निविदा की शर्तों की पूर्ति करते हुए अनुबंध-पत्र निष्पादित करना होगा।
- 23— ठेका कार्य के संचालन के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद का निराकरण समिति द्वारा किया जाएगा। समिति के निर्णय के विरुद्ध आपत्ति प्रधान जिला न्यायाधीश, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी एवं उनका निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।
- 24— प्रधान जिला न्यायाधीश, भोपाल को यह अधिकार होगा कि स्टैण्ड संचालन हेतु दिया गया लायसेंस किसी भी समय बिना कारण बताए 07 दिन का नोटिस देकर नैस्त कर दें और उक्त दशा में ऐसे आवंटितों को प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा निर्दिष्ट अवधि में वाहन स्टैण्ड का संचालन अविलंब बंद करना होगा अन्यथा प्रधान जिला न्यायाधीश को यह अधिकार होगा कि वाहन स्टैण्ड संचालन को बंद कराकर आवंटित स्थान रिक्त करा ले। इस सम्बन्ध में प्रधान जिला न्यायाधीश, भोपाल का निर्णय अन्तिम और आबद्धकारी होगा।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल (म.प्र.)